यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संख्याः– 17/2022 निर्णय दिनांक :– 05.04.2022

प्रार्थना पत्र :

शांति देवी पत्नि स्व0 नायब जाति कंजर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

दशरथ पुत्र स्व0 नायब जाति कंजर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

पंकज पुत्र स्व0 नायब जाति कंजर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

तस्वीर पुत्री स्व0 नायब जाति कंजर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

सुनिता पुत्री स्व0 नायब जाति कंजर उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली, तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता व पति नायब पुत्र हवाल्या जाति कंजर निवासी राजमहल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक ख0नं0 192 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 193 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 765 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 766 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 767 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 768 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता व पति नायब का 1/7 हिस्सा है। प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सम्वत् 2053–2056 एवं सम्वत् 2057–2060 की जमाबंदी में नायब सही अंकित हो रखा है परन्तु उसके बाद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम त्रुटिवश नायब के स्थान पर नारायण अंकित हो गया है जो पूर्ण रूप से गलत

हवाल्या के नारायण नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थीगण ने कई बार अपने पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के लिए तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु आज दिन तक भी प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम दुरूस्त नही हो पाया तथा राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन होने से शुद्धिकरण करने में असमर्थता व्यक्त की इस कारण न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम नारायण की जगह नायब किया जाना आवश्यक है। ग्राम राजमहल से नवीन राजस्व ग्राम बन जाने से उक्त आराजीयात के हाल ख0नं0 106 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 105 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 704 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 705 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 706 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 बनाये गये है। प्रार्थीगण के पिता व पति नायब की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। तथा प्रार्थीगण के अलावा मृतक नायब के अन्य कोई वारिसान नही है। प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन होने से प्रार्थीगण मृतक नायब के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा नही पा रहे है तथा प्रार्थीगण केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नही कर पा रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गई है इसलिए उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल ख0नं0 106 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 105 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 704 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 705 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 706 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम नारायण पुत्र हवाल्या की जगह नायब पुत्र हवाल्या अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है:— चरण नं0 1 राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। चरण नं0 2 राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। चरण नं0 3 अस्वीकार है। चरण नं0 4 राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है। चरण नं0 5 प्रार्थी व न्यायालय से संबंधित है। चरण नं0 6 आंशिक स्वीकार है व न्यायालय से संबंधित है। चरण नं0 7 न्यायालय से संबंधित है। चरण नं0 8 स्वीकार है। चरण नं0 9 न्यायालय से संबंधित है। प्रार्थी द्वारा चाही गई अधियाचना साक्ष्य व सबूत के आधार पर स्वीकार योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

[signature]

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस मीमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2053–56 के खाता संख्या 256 व जमाबन्दी सम्वत 2057–60 के खाता संख्या 159 नायब रामप्रसाद पि0 हवल्या दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2069–72 में वाद वर्णित खसरा नम्बर का मिलान साबिक ख. नं. से है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 4.08.09 में नायब पिता हवालिया का अंकन है। आधार कार्ड शांति देवी पत्नी नायब व दशरथ कंजर के पिता का नाम नायब कंजर का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खाता संख्या 164 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 में नारायण पिता हवाल्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 167 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 में भी नायब के स्थान पर नारायण लगातार चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त सरकारी रिकॉर्ड व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही उक्त दोनों खातो में नाम नायब के स्थान पर नारायण सहवन से दर्ज रिकॉर्ड हो गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 167 कुल किता 6 कुल रकबा 1.71 है0 में दर्ज नारायण पुत्र हवाल्या के स्थान पर नायब पुत्र हवाल्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली